



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228798
CG-DL-E-06082021-228798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2932]
No. 2932]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SRAVANA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ.3158(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 के उप-खण्ड (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 (जिन्हें इसमें इसके बाद मूल आदेश कहा जाएगा) में पैरा 4 के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा :-

“ 4 बिजनेस लाइसेंस या स्थायी बिजनेस लाइसेंस के स्थान पर आवेदन :- बिजनेस लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक वितरक या निर्यातक और अपनी बिजनेस लाइसेंस को स्थायी बिजनेस लाइसेंस में परिवर्तित करने के इच्छुक प्रत्येक निर्यातक को प्ररूप ‘क’ में लाइसेंस प्राधिकारी को बिजनेस लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पूर्व एक आवेदन करना होगा”

3. मूल आदेश में, पैरा 12 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“ (1) निर्यातक के लिए प्रत्येक बिजनेस लाइसेंस इसके जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा और इसके बाद, प्रत्येक उत्तरवर्ती नवीकरण पैरा 17 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर इसकी नवीकरण की तारीख से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा। ”

4. मूल आदेश में पैरा 14 में -

(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रत्येक बिजनेस लाइसेंस पैरा 17 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर नवीकृत किया जाएगा और बिजनेस लाइसेंस द्वारा प्ररूप ‘ट’ में नवीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।”

(ख) उप पैरा (3) में “प्ररूप ज में” शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. मूल आदेश में, पैरा 17 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्

“ 17 फीस – निर्यातकों अथवा वितरकों के लिए बिजनेस लाइसेंस देने/ नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित फीस के साथ होगा, अर्थात् :- ”

निर्यातक/बिजनेस लाइसेंस को स्थायी लाइसेंस में बदलना	रु.2800/- *
वितरकों के लिए	रु.50500/- *
उद्गम का प्रमाण पत्र	रु. 100/-

*लागू करों को छोड़कर

6. मूल आदेश में, प्ररूप ‘क’ के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप - ‘क’

(पैरा - 4 देखें)

चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के पैरा 4 के अन्तर्गत बिजनेस लाइसेंस के लिए आवेदन।

सेवा में,

लाइसेंस प्राधिकारी

चाय बोर्ड,

महोदय,

मैं/हम* विनिर्मित चाय के वितरक/निर्यातक के रूप में व्यवसाय जारी रखने के लिए व्यवसाय लाइसेंस हेतु/आपके द्वारा जारी निर्यातक बिजनेस लाइसेंस संख्यादिनांक..... को स्थायी बिजनेस लाइसेंस में बदलने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम* आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत करता हूँ / करते हैं।

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में), (साझेदारी फर्म के मामले में, सभी साझेदारों के नाम दिए जाने चाहिए)

.....

2: पूरा पता (जिस पर पत्राचार किया जाएगा)

.....

3. अपेक्षित बिजनेस लाइसेंस की प्रकृति

वितरक का बिजनेस लाइसेंस *

निर्यातक का बिजनेस लाइसेंस

निर्यातक के मौजूदा बिजनेस लाइसेंस को स्थायी बिजनेस लाइसेंस में बदलना

4. विभिन्न परिसरों का पूरा पता, यदि कोई हो, जिसमें आवेदक बिजनेस करने का इच्छुक हो अथवा जहाँ ब्लैडिंग और/ या पैकिंग की जाएगी

.....

5. संदत्त फ्रीस की राशि

6. आईईसी कोड

मैंने/हमने चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और उक्त आदेश के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूँ / हैं।

भवदीय

*मुहर सहित आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

(*लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

यह आवेदन कम्पनियों/उत्पादक कम्पनियों/एसएचजी के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा और साझेदारी कन्सर्न के मामले में किसी एक प्राधिकृत साझेदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और व्यक्ति के मामले में 'एकल प्रापराइटर' शब्द को हस्ताक्षर के पश्चात् लिखा जाना चाहिए।

7. मूल आदेश में, प्ररूप - 'ख' का लोप किया जाएगा।

8. मूल आदेश में प्ररूप - 'ज' का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. के-57012/1/2021-बागान (क)]

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.486 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 3317 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3158 (E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Tea (Distribution and Export) Control (Amendment) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, (hereinafter referred to as the principal order), for paragraph 4, the following shall be substituted, namely:-
“ 4. Application for business licence or permanent business licence. – Every distributor or exporter desiring to obtain a business licence and every exporter desiring to convert his business licence into a permanent business licence shall make an application before expiry of the validity of business license to the Licensing Authority in Form A”.
3. In the principal order, for sub-paragraph (1) of paragraph 12, the following shall be substituted, namely:-
“(1) Every business licence for an exporter shall be valid for five years from the date of its issue and each subsequent renewal, thereafter, shall be valid for five years from the date of its renewal on payment of fee as specified under Paragraph 17”.
4. In the principal order, in paragraph 14,-
(a) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely:-
“Every business licence shall be renewed on payment of fee as specified under paragraph 17 and the renewal certificate shall be granted by the Licensing Authority in Form K”;
(b) in sub-paragraph (3), the words “in Form J” shall be omitted.
5. In the principal order, for paragraph 17, the following shall be substituted, namely:-
“ 17. Fees- Every application for grant or renewal of business licence for exporters or distributors shall be accompanied by following fees, namely:-

For exporters/conversion of business license into permanent licence	Rs.2800/*
For distributors	Rs.50500/-*
Certificate of origin	Rs.100/-*

*exclusive of applicable taxes”.

6. In the principal order, for FORM-A the following shall be substituted, namely:-

“FORM A

(See paragraph -4)

Application for business licence under paragraph 4 of the Tea (Distribution and Export) Control Order 2005

To,

The Licensing Authority,

Tea Board,

Sir,

I/We* apply for a business licence to carry on business in manufactured tea as Distributors*/Exporter/for the conversion of Exporter's business license No. date issued by you into permanent business licence.

I/We* furnish the necessary particulars below:-

1. Name of applicant (in block letters) (in the case of a partnership concern the names of all the partners should be given)
2. Full address (to which correspondence should be sent)
3. Nature of business licence required Distributors business licence*
Exporter's business licence
 Conversion of existing Exporter's business licence
 into permanent business licence
4. Full address of the various premises, if any, in which the applicant intends to do business, or where blending and /or packing will be done
5. Amount of fees paid
6. IEC Code:-----

I/We* have carefully read and understood the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, and hereby agree to abide by the provisions of the said Order.

Yours faithfully,

Place

#Signature (s) of applicant (s) with seal

Date

(*Score out the word not applicable)

This application should be signed in the case of Companies/Producer Companies/SHG by an authorized Signatory and in the case of partnership concerns by one of the authorized partners, and in case of Individuals the word 'Sole Proprietor', should be appended after signature".

7. In the principal order, FORM-B, shall be omitted.
8. In the principal order, FORM-J shall be omitted.

[F.No.K-57012/1/2021-Plant(A)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published *vide* notification number S.O. 486(E), dated the 1st April 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and amended *vide* notification number S.O. 3317(E) dated the 25th October, 2016.